वित्तीय वर्षान्त 31 मार्च, 2014 तक की कार्ययोजना।

(1) दृष्टिपत्र, 2018

- दृष्टिपत्र 2018 में वित्त विभाग से संबंधित कोई बिन्दु नहीं है, अतः कार्य योजना निरंक समझी जाये।

(2) जन संकल्प, 2013

(1) जन संकल्प, 2013 सुशासन से संबंधित अध्याय पृष्ठ क्रमांक 5 के बिन्दु क्रमांक 1.5 पर निम्नानुसार उल्लेख है कि –'' सभी विभागों में बजट एवं वित्तीय नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए आंतरिक वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ का गठन। लेखा नियमावली में भी तदनुसार संशोधन।''

इस संबंध में मंत्रि–परिषद् द्वारा दिनांक 9 अप्रैल,2013 को निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :– '' शासन के विभाग यथा–नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, वन विभाग, गृह विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं ऊर्जा विभाग में शासन स्तर पर वित्तीय सलाहकार प्रणाली लागू की जावे।''

इस व्यवस्था हेतु उल्लेखित 10 विभागों के लिए वित्तीय सलाहकार के अपर सचिव स्तर के 10 पद (पे बैण्ड 37,400–67,000 एवं ग्रेड पे 8900) मंत्रालय स्थापना में निर्मित किये जावे। इन पदों की पूर्ति मध्यप्रदेश वित्त सेवा के समकक्ष अधिकारियों से अथवा अखिल भारतीय सेवा के अपर सचिव स्तर के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना कर की जावे। मध्यप्रदेश वित्त सेवा में निर्मित पदों पर पदोन्नति के लिए मध्यप्रदेश वित्त सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किया जावे।

उक्त निर्णय के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थ वित्तीय सलाहकारों की पदस्थापना में युक्तियुकरण करते हुए अप्रैल, 2014 में उपरोक्त वर्णित 10 विभागों में वित्तीय सलाहकार पदस्थ किया जाना प्रस्तावित है।

(2) जन संकल्प, 2013 के कर्मचारी से संबंधित अध्याय पृष्ठ क्रमांक 43 पर कर्मचारियों से संबंधित निम्नांकित बिन्दुओं का उल्लेख है। उक्त बिन्दुओं पर वित्त विभाग की कार्य योजना निम्नानुसार हैः–

18.1 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वेतन विसंगति एवं क्रमोन्नति, पदोन्नति आदि के युक्तियुक्तकरण के लिए आयोग।

- अग्रवाल वेतन आयोग की अनुशंसाओं को वित्त विभाग के द्वारा अंतिम रूप दिया जाकर निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

18.5 संविदा कर्मचारियों की 'मानव संसाधन नीति'।

- सभी विभागों में नियुक्त संविदा कर्मचारियों के लिए समान मापदण्ड़ निर्धारण हेतु मार्च, 2014 तक वित्त विभाग अपने स्तर की कार्यवाही पूर्ण करेगा।

18.7 कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ।

एवं

18.12 सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना।

- वर्तमान समयमान वेतनमान योजना में आवश्यक संशोधन कर ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों जिन्हें सेवा में तीन वेतन अपग्रेडेशन प्राप्त नहीं हुए हैं, तृतीय समयमान वेतनमान के निर्देश जारी किये जायेंगे।

18.11 सरकारी सेवकों को गृह निर्माण ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों से साथ MOU जिसमें राज्य सरकार के सेवाकर्मी आय के आधार पर 30.00 लाख रूपए तक का ऋण न्यूनतम दर पर प्राप्त कर सकेंगे। राज्य सरकार गारंटर।

- वर्तमान में भी संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी से वेतन से कटौत्रा के संबंध में प्रमाण–पत्र बैंकों द्वारा प्राप्त किया जाता है, अतः पृथक से राज्य सरकार को गारंटर बनाये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

राज्य शासन के वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ऊपर उल्लेखित बिन्दुओं पर यथा–समय निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।